मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 3-03/2017/एक-3 भोपाल दिनांक 23 फरवरी, 2017

प्रति

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्य प्रदेश।

विषय :- मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का 59वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16.

संदर्भ :- इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी 6-1-2012-3-एक दिनांक 13 अगस्त, 2012 एवं क्रमांक सी 3-15/2015/1/3 दिनांक 21 दिसम्बर, 2015.

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का 59वां वार्षिक प्रतिवेदन में विभागों द्वारा आयोग को भेजे जाने वाले विभागीय पदोन्नति समिति/परिभ्रमण/नियमितीकरण/स्थाईकरण/संविलियन/विभागीय जाँच/अनुशासनात्मक कार्यवाही/अपील एवं न्यायालयीन इत्यादि प्रकरणों में कमियों की ओर ध्यान आकर्षित कराया है जो निम्नानुसार है:-

1. पदोन्नति से संबंधित प्रस्ताव.

   (क) संबंधित संवर्ग की अद्यतन पदक्रम सूचियां प्रकाशित न हो पाना।

   (ख) कुछ अधिकारियों की संगत वर्षों की चरित्रावलियां या तो पूर्ण रूप से न लिखा जाना या उनमें दी अभ्युक्तियां अस्पष्ट होना।

   (ग) गोपनीय चरित्रावलियों में अंकित विपरीत अभ्युक्तियां संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में संसूचित नहीं की जाना।

2. विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही/अपील एवं न्यायालयीन प्रकरण.

(क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विभागों द्वारा पूरी तरह पालन न करना।

(ख) प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का व्यवस्थित नहीं होना।

(ग) प्रस्ताव पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होना।

(घ) प्रकरण की विस्तृत संक्षेपिका, आरोपवार विवरण पत्रक, निर्धारित सेवा विवरण पत्रक में जानकारी पूर्ण रूप से नहीं भरे जाना, कारण बताओ सूचना-पत्र के पत्रक में जानकारी पूर्ण रूप से नहीं भरा जाना, कारण बताओं सूचना-पत्र के संबंध में आरोपी द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर पर तथा अपील में उठाये गये बिन्दुओं पर शासन की तथ्यात्मक एवं बिन्दुवार टीप कव्हरिंग पत्र के साथ उपलब्ध नहीं कराया जाना।

(ङ) अभिलेखों की छायाप्रतियां किसी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की जाना।

2/ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किये जाने वाले प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया जाता है कि विभागीय पदोन्नति के विभागों द्वारा आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्तावों में परिभ्रमण/नियमितीकरण/स्थाईकरण/संविलियन तथा विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही/अपील एवं न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित जानकारी के अभाव में प्रकरणों को या तो नस्तीबद्ध किया जाना होता है अथवा विभागों को लौटाया जाना पड़ता है। इस संबंध में समय-समय पर संदर्भित ज्ञापनों के माध्यम से विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। अतः भविष्य में लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाले प्रकरणों में पूर्ण जानकारी का समावेश किया जाकर प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित किया जाए।

23.2.2011

(सीमा शर्मा)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग